

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक प.5(5) प्राशि/स्था. कैम्प/2018 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक : 09.08.2018

—:: आदेश ::—

तृतीय श्रेणी अध्यापक, प्रबोधक, शारीरिक शिक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में सिरोही जिले में निम्नानुसार स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.स.	नाम कर्मचारी	शालादर्शन आईडी	पद नाम मय लेवल	विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पद स्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान				विशेष विवरण
								विद्यालय का नाम मय डाईस कोड	लेवल पद / विषय	ब्लॉक	जिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ममता राव	25535	अध्यापक लेवल-2	गणित/विज्ञान	14/09/2012	राउप्रावि, वेराविलपुर पं.स. शिवगंज	सिरोही	राबाउप्रावि, छावनी शिवगंज 08190404401	अध्यापक लेवल-2 गणित/विज्ञान	शिवगंज	सिरोही	रिक्त पद पर
2	भरत कुमार पुरोहित		अध्यापक लेवल-2	गणित/विज्ञान	11/09/2012	राउप्रावि, चुली वेरा धारणा, पं.स. गढ सिवाना, बाडमेर	बाडमेर	राउप्रावि, नयाधर कासिन्द्रा, पं.स. पिण्डवाडा 08190103302	अध्यापक लेवल-2 गणित/विज्ञान	पिण्डवाडा	सिरोही	रिक्त पद पर
3	कृष्ण कुमार (पारस्परिक)	68076	शा.शि.	0	16/05/1995	राउप्रावि, डेरना आबुरोड	सिरोही	राउप्रावि, मानपुर ग्रामीण आबुरोड 08190202801	शा.शि.	आबुरोड	सिरोही	रिक्त पद पर
4	कालु सिंह देवडा (पारस्परिक)	51145	शा.शि.	0	12/08/1995	राउप्रावि, मानपुर ग्रामीण आबुरोड सिरोही	सिरोही	राउप्रावि, डेरना, आबुरोड 08190202001	शा.शि.	आबुरोड	सिरोही	रिक्त पद पर

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के पूर्व निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

- 1 संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- 2 संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/ न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरुद्ध वाद विचाराधीन हो, तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।



- 3 प्रबोधक तथा पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे अध्यापक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम 6 डी के तहत चयन नहीं किया गया है, उनको शहरी क्षेत्र के लिये कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 4 राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 5 शून्य नामांकन वाले विद्यालय में किसी भी अध्यापक का स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 6 कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण प्रक्रिया से कोई विद्यालय (शून्य नामांकन वाले को छोड़कर) शिक्षक विहीन न हो जावे।
- 7 शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधी सहमति का शपथ पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 8 गैर प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31-12-2012 के पश्चात की हो तो, उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 9 प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31-12-2008 के पश्चात की हो तो उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 10 टीएसपी से गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 11 लेवल प्रथम के अध्यापक को लेवल द्वितीय के पद हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 12 लेवल द्वितीय गणित-विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षक को उसके समान पद एवं विषय के लिये ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 13 लेवल-2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में लेवल प्रथम के पद पर लेवल-2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी के कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जा सकता है।
- 14 संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण गैर प्रतिबन्धित/प्रतिबन्धित से प्रतिबन्धित जिले में हो रहा हो, तो उनका केवल परिवीक्षाकाल पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाकर, उनको कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 15 प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाला कार्मिक निर्धारित गंभीर रोगों से ग्रसित (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन) हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जावे एवं उनके विरुद्ध आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाकर उन्हें पुनः मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावे।
- 16 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/पीईईओ स्थानान्तरित कार्मिक को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित होने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त करे एवं कार्मिक दिनांक 20/08/18 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करे अन्यथा दोषी अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध



